न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. भैरूलाल पिता माना जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. माधुलाल पिता माना जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामलाल पिता वगता जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. झमकू पिता वगता जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. मथरा पिता वगता जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. गिरधारी पिता देवा जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. गोरधन पिता देवा जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. केसर पिता माना जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. सोहनी पिता माना जी गुर्जर, निवासी डूमखेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 22.05.2017 प्र.सं. 636/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री शेषमल गायरी अभिभाषक रे. सं. 1 से 5

———::———

निर्णय दिनांक

22—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण की ओर से रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजियात ग्राम डूमखेड़ा में स्थित है तथा उसके आराजी नंबर 812 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में आने जाने का कोई रेकार्डेड रास्ता नहीं है। अतः उन्हें विपक्षीगण की आराजी नंबर 813 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में से रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

विपक्षीगण द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर रास्ता बन्द नहीं होकर चालू है तथा प्रतीप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि विपक्षी को अपनी आराजी नंबर 550, 556, 619 व 540 में आने जाने हेतु प्रार्थी की आराजी नंबर 541, 551, 554 व 637 में से रास्ता दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 22—05—2017 से यह आदेश पारित किया कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के द्वारा डीएलसी दर की दुगनी राशि एक दूसरे को रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाले रकबे अनुसार अदा करने पर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22—05—2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26—04—2018 को पे”ा की गई है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिवक्ता के पास पेशी की जानकारी हेतु दिनांक 23—03—2018 को आये तो उक्त निर्णय की जानकारी

हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। देरी का पर्याप्त एवं उचित कारण होने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22–05–2017 अनुसार उक्त निर्णय अपीलान्ट/प्रार्थीगण की उपस्थिति में पारित किया गया है, तद्नुसार उसे दिनांक 23–03–2018 को जानकारी होने का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है, किन्तु न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रहते हुए उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी, प्रार्थना पत्र तहसीलदार व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये तथा न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड होकर न्याय पर पहुंचने हेतु सार्थक दस्तावेज हैं। अतः न्यायाहित में उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से औपचारिक पक्षकार पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलो तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा विपक्षीगण का प्रतीप प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भूल की है।

पत्रावली पर मौका रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होते हुए भी उक्त आदेश पारित किया है। जब पत्रावली पर प्रतीप वाद के रूप में चाह गये रास्ते बाबत् कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में पारित आदेश जो कि आराजी नंबर 550, 556, 619 व 540 के संबंध में रास्ता उपलब्ध कराने बाबत् पारित किया गया है, उस सीमा तक अपास्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट सख्या 1 से 5 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार नहीं किया गया है तथा मात्र कथनों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का पूर्ण विश्लेषण कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर